संख्या– 353 / XXIV(6)2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

कुल सचिव / वित्त अधिकारी,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय,श्रीनगर /
कुमायूं विश्वविद्यालय,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून:दिनॉक 3 अक्टूबर,2005

विषय:– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 11–5–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि में से 01 अगस्त/2005 से 30 नवम्बर/2005 तक की अवधि में विभिन्न व्ययों हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर/कुमायूं विश्वविद्यालय,नैनीताल को उनके सम्मुख अंकित धनराशि की द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

क.स.	विश्वविद्यालय का नाम	धनराशि रुपये में
1–	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय,श्रीनगर गढवाल।	3,39,06,000 (रु0 तीन करोड उन्तालीस लाख छः हजार मात्र)
2–	कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।	2,46,36,000 (रु0दो करोड छियालीस लाख छत्तीस हजार मात्र)

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार किस्तों में किया जायेगा। इस अनुदान के बिल पर जिला शिक्षा अधिकारी,पौडी/नैनीताल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेगें।

3– विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जबकि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो।

4– स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल वेतन,मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वेतन के साथ अनुमन्य है का ही भुगतान किया जायेगा। अन्य मदों में व्यय हेतु फॉट स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

5– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

6– जिन कार्मिकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है उनके जी0पी0एफ0 की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकीय कोषागार में नियमित रुप से जमा कराया जाय,उसे अन्यत्र जमा न किया जाय।

7– इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित पदों, मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रुप से इसका कोई भी भाग अन्य अनानुमोदित पदों,अवकाश नकदीकरण,चिकित्सा भत्ता,सवारी भत्ता,मानदेय कार्यो एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक –2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनेत्तर–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–03–कुमायूं विश्वविद्यालय–00–20–सहायक अनुदान अंशदान/राजसहायता एवं 04–गढवाल विश्वविद्यालय–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 875/ XXVII(I)/2005 दिनॉक 29.9.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव ।

संख्या– 353 (1)/ XXIV(6)/2005 तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार ,उत्तरॉचल देहरादून ।
2– लेखाधिकारी,उच्च शिक्षा निदेशालय,हल्द्वानी(नैनीताल) ।
3– उप निदेशक,उच्च शिक्षा, देहरादून ।
4– जिला शिक्षा अधिकारी, पौडी/नैनीताल।
5– कोषाधिकारी,पौडी/नैनीताल।
6– निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल।
7– वित्त अनु.–1 उत्तरॉचल शासन ।
8– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(के0 पी0 पाटनी)
अनु सचिव ।

GARHWAL UNIV GO 3